

फा.सं. सीबीईसी -20/16/04/2018-जीएसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
जीएसटी पॉलिसी विंग

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसंबर, 2018

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त / प्रधान आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय कर (सभी)

प्रधान महानिदेशक / महानिदेशक (सभी)

महोदया / महोदय,

विषय: कर प्राधिकरणों द्वारा कम्पोजिशन के विकल्प और प्रभावी तिथि को अस्वीकार करने- की बावत

केंद्रीय माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का नियम 6 (एतदपश्चात "सीजीएसटी नियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) कम्पोजिशन लेवी की वैधता से संबंधित है। उक्त नियम के अनुसार, कम्पोजिशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा तब तक वैध रहेगा, जब तक कि वह केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (एतदपश्चात "सीजीएसटी अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 10 और सीजीएसटी नियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है। नियम के तहत करदाता के कम्पोजिशन स्कीम से निकासी की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं, जो उक्त स्कीम से निकलने का इरादा रखते हैं और साथ ही करदाता को उस स्कीम के तहत, कर का भुगतान करने के विकल्प को अस्वीकार करने की प्रक्रिया भी है जहां उसने सीजीएसटी अधिनियम या जीएसटी नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

2. इस संबंध में, संदेह उस तारीख से उठाया गया है, जिस दिन से कम्पोजिशन स्कीम को वापस लेने के विकल्प का करदाता ने प्रयोग किया है। कम्पोजिशन स्कीम के तहत कर का भुगतान करने के विकल्प को अस्वीकार करने की प्रभावी तिथि के बारे में भी संदेह जताया

गया है, जहां कर अधिकारियों द्वारा कंपोजिशन करदाता को इस तरह के विकल्प को अस्वीकार करने की कार्यवाही शुरू की गई है। इसके अलावा, कर अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अनुवर्ती कार्यवाही के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है, जब करदाता कम्पोजिशन स्कीम के विकल्प को पूर्वप्रभावी तारीख से अस्वीकार कर देता है। इन मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए और क्षेत्रीय कार्यालयों में कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168 (1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड द्वारा उठाए गए मुद्दों को अधोलिखित रूप में स्पष्ट किया गया है।

3. सीजीएसटी नियमावली के नियम 6 के उप-नियम (2) में यह प्रावधान है कि कंपोजिशन करदाता सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत जिस दिन से वह कम्पोजिशन स्कीम की किसी भी शर्त के अनुपालन को समाप्त कर देगा, कर का भुगतान सामान्य करदाता के रूप में करेगा। इसके बाद से कर योग्य आपूर्ति के लिए कर चालान जारी करेगा। सीजीएसटी नियमावली के नियम 6 के उप-नियम (3) में यह प्रावधान है कि पंजीकृत व्यक्ति जो कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकलना चाहता है, इस तरह की निकासी की तारीख से पहले, सामान्य पोर्टल पर **FORM GST CMP-04** में एक आवेदन दर्ज करेगा। ऐसा करने के सात दिनों के भीतर **FORM GST CMP-04** में इस स्कीम से बाहर निकलने की सूचना देगा।

4. सीजीएसटी नियमावली के नियम 6 के उप-नियम (4) के अनुसार, जहां उचित अधिकारी को यह विश्वास हो कि पंजीकृत व्यक्ति सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने का पात्र नहीं था या उसने सीजीएसटी अधिनियम या सीजीएसटी नियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, वह **FORM GST CMP-05** में ऐसे व्यक्ति को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है, कि क्यों सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने के विकल्प को अस्वीकार नहीं किया जाय। **FORM GST CMP-06** में पंजीकृत व्यक्ति से कारण बताओ नोटिस का जवाब मिलने पर, उचित अधिकारी, ऐसे उत्तर की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर सीजीएसटी नियमावली के नियम 6 के उप-नियम (5) के प्रावधानों के अनुसार, **FORM GST CMP-07** में एक आदेश जारी करके, या तो उत्तर को स्वीकार करेगा, या सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10 के तहत ऐसे विकल्प की तारीख से अथवा ऐसे किसी नियम या प्रावधानों की तारीख से कर का भुगतान करने के विकल्प को अस्वीकार करेगा। जैसा भी मामला हो।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामले में जहां करदाता ने कंपोजीशन स्कीम से निकलने की मांग की है, इसकी प्रभावी तारीख वह तारीख होगी जो उसके अंतरिम / आवेदन **FORM GST CMP-04** में दर्ज हो, लेकिन ऐसी तारीख ऐसे वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले नहीं हो सकती है। जिसमें निकासी के लिए ऐसी सूचना / आवेदन दायर किया गया हो। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उसने सीजीएसटी अधिनियम या सीजीएसटी नियमावली के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है, तो कर, ब्याज और जुर्माना की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की जा सकती है। कर अधिकारियों द्वारा विकल्प के मामले में, इस तरह के अस्वीकार की प्रभावी तारीख वह तारीख होगी, जो कर अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई हो, जिसमें कोई पूर्वव्यापी तारीख भी शामिल हो सकती है, लेकिन सीजीएसटी अधिनियम या सीजीएसटी नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन की तारीख से पहले की नहीं हो सकती है। ऐसे मामलों में, जैसा कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (5) के तहत प्रावधानों के उल्लंघन की तारीख से **FORM GST CMP-07** में आदेश जारी होने की तारीख से कर, ब्याज और जुर्माना के निर्धारण के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या धारा 74 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पंजीकृत व्यक्ति सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 के तहत **FORM GST CMP-07** में जारी आदेश की तारीख से कर के भुगतान का उत्तरदायी होगा।

बशर्ते कि स्टॉक में रखे गए इनपुट पर क्रेडिट का दावा करने के लिए, स्टॉक में रखे गए अर्द्ध-तैयार या तैयार माल में निहित इनपुट और पूंजीगत सामान पर आदेश जारी होने से पहले की तारीख पर दावा करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 18 (1) (ग) के प्रावधानों का प्रयोग किया जाएगा।

6. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र की सामग्री को प्रचारित करने के लिए उपयुक्त व्यापार नोटिस जारी किए जा सकते हैं।

7. उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन में कठिनाई, यदि कोई हो, तो प्रारंभ में ही बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है। हिंदी संस्करण का अनुसरण किया जाएगा।

(उपेंद्र गुप्ता)
आयुक्त (जीएसटी)